प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 25.07.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी-03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 1,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.09.2019 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादिनी ने अभियुक्त द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने के संबंध मे थाना कोतवाली पर लिखित तहरीरी सूचना दी, जिसके संबंध मे थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0-573/19 धारा- 452/354 A भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री नीरज कुमार शर्मा द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 रोहित कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री दशरथ चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 25.07.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **कलीम उर्फ कामिल पुत्र अखलाख अहमद निवासी वैरून कटरा साहब खाँ थाना कोतवाली जनपद इटावा।**